न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 58 / 2018 तारीख रजू:– 20.12.2018

1 उकारया,कुन्दन पिसरान लच्छा जाति माली निवासी खिरखिडा उप तहसील कुडगॉव जिला करौली

:– अपीलान्ट

बनाम

1 नायव तहसीलदार उप तहसील कुडगॉव जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.10.2018 न्यायालय नायव तहसीलदार उप तहसील कुडगॉव

निर्णय दिनांक 25.03.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील नायब तहसीलदार कुडगॉव के निर्णय दिनांक 12.10.2018 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानते हुये निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट गलत व विधि विरूद्व तैयार की गई है। मौके पर खसरा नम्बर 698 रकवा 1 विस्वा गैरमुमकिन रास्ता पर कोई अतिक्रमण नही है। ना ही पूर्व मे किया गया है। सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। ना ही कोई नोटिस जारी किया गया है। एक ही दिवस मे सभी कार्यवाही की गई है। पश्चात अतिचार के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। ये सभी कार्यवाही विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोहराते हुये भूमि पर कब्जा नही होना जाहिर करते हुये और अण्डर टेकिंग पेश की गई। जिसमे भूमि से कब्जा हटा लिया गया है। किसी प्रकार का कोई अतिकमण नही है। और भविष्य मे कब्जा नही करने बाबत भी निवेदन किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का खिरखिडा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की

उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि पर किये गये अतिचार को हटाने का है। यदि हस्तगत प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात से अतिचार हटा लिया है। और भविष्य मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।फिर भी विवादित आराजी आम जन के रास्ता के उपयोग उपभोग की है। जिस पर से अतिक्रमण हटना भी आवश्यक हैं ऐसी स्थिति मे हम प्रार्थी अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार कुडगॉव तहसील सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 12.10.2018 का अपास्त किया जाता है। नायव तहसीलदार को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपील अपीलान्ट की मौजूदगी मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 698 रकवा 1 विस्वा का मौका देखे यदि मौके पर अपीलान्टी/अतिकमी का अतिक्रमण पाया जाता है और मौके से अतिक्रमण नही हटाया जाता है। तो उसके खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की संशोधित धारा 91(6) के तहत नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली